



Reg. No IV/65/21

## INDIAN ALLIED HEALTH CARE PROFESSIONAL / INSTITUTE ASSOCIATION

सेवा में,

जनसूचना अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधिकारी ।

जनपद- हाथरस, उत्तर प्रदेश ।

महोदय,

निवेदन है, कि जनसूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर लिखित सूचना प्रदान करे। यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग अथवा आपके कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को निश्चित समय व अवधि में हस्तांतरित करने का कष्ट करें ।

1. पैरामेडिकल प्रोफेशनल / वर्कर / प्रोवाइडर को उओप्र0 में अभ्यास करने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी (स्वशासी एंव स्ववित्तपोषी) संस्था में पंजीयन अनिवार्य हैं क्या?
2. यदि हाँ तो उओप्र0 सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेश की कापी उपलब्ध कराये।
3. उओप्र0 सरकार द्वारा किस अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी (स्वशासी एंव स्ववित्तपोषी) में पैरामेडिकल प्रोफेशनल / वर्कर / प्रोवाइडर का पंजीयन अनिवार्य किया गया है।

दिनांक - 05/08/2023

भवदीय

संलग्नक - 10रू का भारतीय पोस्टल आर्डर

इंडियन एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल/इंस्टीट्यूट एसोसिएशन

पोस्टल आर्डर क्रमांक सं - 39F 389221

Secretary  
I. A. H. A.  
INDIAN ALLIED HEALTH CARE  
PROFESSIONAL / INSTITUTE ASSOCIATION



Ch. No.157/1, Near Laxmi Nagar, Metro Station Gate No 1, Vikas Marg, Delhi-110092  
Phone : 91-6392675659, Email: iaha4054@gmail.com, Web : www.iaha.in